संख्या : 677/उन्तीस-2(5पे)/2005

प्रेषक,

डॉ० आर०एस० टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

पेयजल विभाग

देहरादून : दिनांक : 16 अगस्त 2005

विषय : पेयजल स्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शनै–शनै: पेयजल स्रोतों के स्राव में निरन्तर कमी आती जा रही है एवं अनेकों स्रोत सूखते जा रहे हैं। प्रदेश में विशेष रूप से पर्वतीय जनपदों में जहाँ अधिकांश पेयजल स्रोत मुख्य रूप से स्थानीय गधेरे, झरनों आदि के रूप में हैं और जहाँ भूमिगत जल का दोहन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सम्भव नहीं है। अतः ऐसे स्रोतों को सूखने से बचाया जाना एवं क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

2– वर्तमान में प्रदेश में कुल 10463 पेयजल योजनायें हैं, जो विभिन्न झरनों एवं गधेरों से स्रावित होते हैं। वर्ष 2003 के सर्वे के अनुसार 4719 पेयजल योजनाओं के स्रोतों में से 605 पेयजल योजनाओं के स्रोत ऐसे पाये गये हैं, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आ गयी है (संलग्नक–1)। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। इन पेयजल स्रोतों के सूखने के प्रारम्भिक कारणों में से पेयजल स्रोतों के आस-पास सड़क निर्माण, पेयजल स्रोतों से अनाधिकृत रूप से माइनिंग किया जाना, उस जल संग्रहण क्षेत्र में पेड़ों का कटान किया जाना अथवा वहाँ विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों को किया जाना है। माह मार्च 2005 में जनपद बागेश्वर के दो पेयजल स्रोतों को पी०डब्लू०डी० के सड़क निर्माण के ठेकेदार द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। [illegible] यह प्रकाश में आया कि इस प्रकरण में पी०डब्लू०डी० के ठेकेदार द्वारा [illegible] के सड़क निर्माण हेतु [illegible] गधेरे में से माइनिंग का कार्य (मिट्टी पत्थर का कार्य) करने से पेयजल स्रोतों को [illegible] नष्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति अन्य जनपदों में भी हो सकती है।

3– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया जनपद स्तर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों की [illegible] गठन क[illegible] अपने-अपने [illegible] के समस्त पेयजल स्रोतों का चिन्हांकन करा लें। प्रदेश स्तर पर चिन्हांकित पेयजल स्रोतों की जनपदवार सूचना संलग्नक–2 पर दृष्टव्य है तथापि आप इस स्थिति के आधार पर अपने यहाँ के जल स्रोतों का चिन्हांकन एवं सत्यापन करा लें और साथ ही यह भी दिखवा लें कि जनपद में भिन्न–भिन्न स्थानों पर इन स्रोतों के आस–पास सड़क निर्माण कार्य अथवा अन्य कोई निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, जो इन पेयजल स्रोतों को क्षति पहुँचा रहे हैं या पहुँचा सकते हैं। यदि ऐसे कोई मामले प्रकाश में आते हैं तो उन पर तत्काल कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति द्वारा पेयजल स्रोतों को हानि न पहुँचायी जा सके, क्योंकि इन स्रोतों के एक बार सूख जाने पर उनका पुनर्जीवीकरण अत्यन्त ही दुरूह कार्य है और जिससे भविष्य में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस कार्य के सम्पादन हेतु जनपद में जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अधिशासी अभियन्ताओं को नियोजित करते हुए और साथ में निर्माण विभागों यथा पी0डब्लू0डी0 आदि के भी अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए टीम का गठन कर लिया जाय। वन विभाग को भी इस टीम में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि अधिकांश पेयजल स्रोत आरक्षित वन क्षेत्रों अथवा पंचायती वन क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

4– जनपद के पेयजल स्रोतों के चिन्हांकन एवं सत्यापन के उपरान्त इनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के संबंध में कार्य योजना बनाई जानी भी अति आवश्यक है। जहाँ तक पेयजल स्रोतों के संवर्द्धन, संरक्षण एवं सुरक्षात्मक उपाय किये जाने का प्रश्न है, प्रत्येक जनपद में डी0पी0ए0पी0, आई0डब्लू0डी0पी0, जलागम निदेशालय द्वारा संचालित जलागम परियोजनाएँ, वन विभाग द्वारा संचालित एफ0डी0ए0 एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जलागम विकास के कार्य संचालित किये जा रहे हैं। अतः कृपया जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन योजनाओं के तहत जो भी क्षेत्र वृक्षारोपण, जल एवं भूमि संरक्षण हेतु चिन्हित किये जा रहे हैं, उनमें पेयजल स्रोतों के जल समेट क्षेत्रों को शीर्ष वरीयता दी जाय, जिससे पेयजल स्रोतों के कैचमेंट सुरक्षित रह सकें और उनके स्राव में कमी न आये तथा सूखे हुए स्रोतों का पुनर्जीवीकरण सम्भव हो सके। इस हेतु प्रदेश में भिन्न भिन्न विकास [illegible] आर्थिक [illegible], एफ0[illegible] एवं जलागम विकास आदि की जो विभिन्न परियोजनाएं संचालित हैं उनकी सूची संलग्नक 3 पर देखी जा सकती है।

5— पेयजल विभाग द्वारा ऐसे 121 पेयजल स्रोतों को चिन्हित किया गया है, जिनके स्रोत वर्ष 2004 के ग्रीष्म ऋतु में सूख गये थे। इन जल स्रोतों, जल समेट क्षेत्रों में वनीकरण, जल एवं मृदा संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की आवश्यकता है। इन कार्यों को वन विभाग के प्रचलित कार्यक्रमों व विभिन्न जलागम कार्यक्रमों के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। ऐसे जल स्रोतों की जनपदवार सूची संलग्नक—4 पर दृष्टव्य है।

6— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाओं के आधार पर कृपया जनपद स्तर पर पेयजल श्रोतों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं सुरक्षा हेतु माइक्रो प्लानिंग अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का भी गठन किया जाता है :—

1—	जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2—	मुख्य विकास अधिकारी	—	सदस्य
3—	प्रभागीय वनाधिकारी	—	सदस्य
4—	अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान	—	संयोजक
5—	अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम	—	सदस्य
6—	अधिशासी अभियन्ता, लोक निमार्ण विभाग	—	सदस्य
7—	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	—	सदस्य
8—	मुख्य कृषि अधिकारी	—	सदस्य

उक्त समिति द्वारा जनपद की कार्ययोजना एक माह में तैयार कर ली जाय तथा माह मई, 2005 से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक कार्ययोजना की प्रगति शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार। सी०डी०

भवदीय,

(डॉ० आर०एस० टोलिया)
मुख्य सचिव

पत्र संख्या : 677/उ0नि0-2(05 पे0)/2005

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
2— आयुक्त कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
3— सचिव, जलागम, लघु सिंचाई एवं कृषि, उत्तरांचल शासन।
4— सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
5— सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल शासन।
6— प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, कैम्प, देहरादून।
7— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
8— समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
9— मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान/प्रबन्ध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
10— समस्त अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान/पेयजल निगम, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(बी0 पी0 पाण्डेय)
सचिव